न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर

अजमेर न्याय क्षेत्र, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी	–	**डॉ. विमल व्यास आर.जे.एस**
सी.आई.एस. संख्या	–	**6224/2014**
फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या	–	**1317/2014**
एफ.आई.आर.संख्या	–	**159/2014**
सीएनआर नंबर	–	**RJAJ220001802014**
आरक्षी केन्द्र	–	**पुष्कर**

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी, पुष्कर **.....अभियोगी**

बनाम

हरिराम पुत्र श्री श्योकरण उम्र 51 वर्ष निवासी ग्राम बांसेली पुलिस थाना पुष्कर, अजमेर।
.....अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 458, 354 बी एवं 323 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित:–
अभियोजन अधिकारी, वास्ते राजस्थान राज्य।
श्री एस.के.चौधरी, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

–:प्रकरण के संक्षिप्त विवरण:–

अपराध की तिथि	13.07.2014
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	14.07.2014
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	09.12.2014
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	16.06.2016
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	24.07.2018
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	11.05.2026
निर्णय की तिथि	11.05.2026
दंड दिए जाने की तिथि (यदि हो तो)	–

–:अभियुक्त का विवरण:–

अभियुक्त की क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त के आरोप का विवरण	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिए गए दण्ड का विवरण यदि कोई हो तो	धारा 428 द.प्र.सं. के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बितायी गई अवधि
1.	हरिराम	17.07.2014	22.07.2014	458, 354बी एवं 323 भारतीय दण्ड संहिता	दोषसिद्ध	दण्डादेश के अनुसार	06 दिवस

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची:–

क. अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पीडब्ल्यू –1	गुलाब कंवर	परिवादिया
पीडब्ल्यू –2	शंकर सिंह	चश्मदीद गवाह
पीडब्ल्यू –3	रघुवीर सिंह	चश्मदीद गवाह
पीडब्ल्यू –4	रूपाराम	फर्द गिरफ्तारी
पीडब्ल्यू –5	भंवर दुर्गादत्त सिंह	चिकित्सक
पीडब्ल्यू –6	हरि सिंह	नक्शा मौका घटनास्थल
पीडब्ल्यू –7	समंदर सिंह	नक्शा मौका घटनास्थल
पीडब्ल्यू –8	योगेन्द्र सिंह	पुलिस गवाह
पीडब्ल्यू –9	महिपाल	प्रथम सूचना रिपोर्ट निष्पादनकर्ता
पीडब्ल्यू –10	संपत सिंह	पुलिस गवाह
पीडब्ल्यू –11	जगदीश प्रसाद	अनुसंधान अधिकारी

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
-	-	-

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची:–

क. अभियोजन

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	तहरीरी रिपोर्ट	प्रदर्श पी–1
2	नक्शा मौका घटनास्थल	प्रदर्श पी–2
3	गले का मंगलसूत्र व कानों के टोप्स मिल जाने का प्रार्थनापत्र	प्रदर्श पी–3
4	परिवादिया के बयान अंतर्गत धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता	प्रदर्श पी–4
5	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श पी–5
6	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त	प्रदर्श पी–6
7	चोट प्रतिवेदन	प्रदर्श पी–7

क. बचाव

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श डी संख्या

निर्णय **दिनांक: 11.05.2026**

01– इस प्रकरण का उद्भव थानाधिकारी पुलिस थाना, पुष्कर की ओर से दिनांक 29.06.2014 को अभियुक्त हरिराम के विरुद्ध धारा 458, 354 बी एवं 323 भारतीय दण्ड संहिता में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर में आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर हुआ। कालांतर में श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर के आदेश क्रमांक 09 दिनांक 06.01.2026 की पालना में हस्तगत प्रकरण अंतरित होकर न्यायालय हाजा को प्राप्त हुआ, जिस पर प्रकरण को नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया, जिसका निस्तारण हस्तगत निर्णय के माध्यम से किया जा रहा है।

02– अभियोजन वृतांत संक्षिप्त में इस प्रकार है कि परिवादिया गुलाब कंवर ने एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 थानाधिकारी पुलिस थाना पुष्कर के समक्ष दिनांक 14.07.20214 को इस आशय की पेश की कि कल दिनांक 13.07.2014 को समय करीब रात्रि 11 बजे वह अपने घर पर अकेली थी। उसका बेटा केकड़ी पढ़ाई करता है। रात्रि में हरिराम पुत्र सोकण जी भाटी उसके घर दीवार कूद कर आया और उसके साथ छेड़छाड़ की, उसके कपड़े फाड़ दिए। उसके गले का मंगलसूत्र आधा तोला व उसके कान के एक तोला सोने के थे, जो वो तोड़ कर ले गया। उसने हल्ला किया, आस–पास के लोगों ने उसका बीच बचाव किया। हरिराम मौके से फरार हो गया। रघुवीर सिंह पुत्र गुमान सिंह, शंकर सिंह पुत्र गुमान सिंह इन लोगों ने उसका बीच–बचाव किया। कार्यवाही करावें।.....आदि।

03– उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 159/2014 अपराध

अंतर्गत धारा 458, 354बी, 379 एवं 323 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त हरिराम के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 458, 354 बी एवं 323 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 458, 354 बी एवं 323 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

04– दिनांक 16.06.2016 को बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 458, 354 बी एवं 323 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त द्वारा आरोप से इंकार किया गया और अन्वीक्षा चाही गई।

05– दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार साक्षीगण को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

06– तत्पश्चात् अभियुक्त का परीक्षण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत किया गया तो अभियुक्त ने कोई साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

07– बहस अन्तिम सुनी गई। अभियुक्त के धारा 437–क दण्ड प्रक्रिया संहिता के बन्ध–पत्र व प्रतिभूति पत्र प्राप्त किए गए।

08– इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:–

''**क्या, अभियुक्त ने दिनांक 13.07.2014 की रात्रि में समय करीब 11:00 बजे ग्राम बांसेली में परिवादिया गुलाब कंवर के मकान में प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित कर परिवादिया के कपड़े फाड़ कर उसे निर्वस्त्र करने के आशय से उस पर हमला/आपराधिक बल का प्रयोग किया और परिवादिया के साथ कुंदाले से स्वेच्छया मारपीट कर साधारण उपहतियां कारित की? यदि हाँ तो अभियुक्त किस प्रकार के समुचित दण्ड से दण्डनीय है"?**

09– दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने दलील दी कि पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध बखूबी प्रमाणित हुआ है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

10– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क प्रस्तुत किया कि साक्षीगण के कथनों में घोर विरोधाभास है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो आरोपित अपराध में अभियुक्त की लिप्तता को प्रकट करे। अंत में, अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

11– उपरोक्त परस्पर विरोधी दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के प्रमाणीकरण हेतु कुल 11 साक्षीगण को न्यायालय में प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया है जिनकी साक्ष्य का विवेचन निम्नप्रकार है:–

साक्षी पीडब्ल्यू –1 गुलाब कंवर ने शपथ पर कथन किया है कि आज से लगभग 9–10 साल पहले उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका लड़का बाहर केकड़ी पढ़ाई कर रहा था और वो वहीं पर रहता था, इसलिए वह घर पर अकेली रहती थी। दिनांक

13.07.2014 को वह रात्रि 11:00 बजे घर पर अकेली थी व कमरे में सो रही थी। रात को वह बाथरूम करने के लिए उठी और बाथरूम करने के लिए वह बाहर चबूतरे पर आई तो हरिराम भाटी (माली) आया और उसे चबूतरे पर पीछे से पकड़ लिया और उसे पकड़कर धक्का देकर कमरे में ले गया। कमरे के अंदर उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके स्तन दबाये तथा छेड़खानी करने लगा। उसने छुड़ाने की बहुत कोशिश की तो उसने उसके मुंह को अपने हाथ से भींच रखा था, जिसका अंगूठा दांतों से दबाया तो उसने हाथ अलग कर लिया, जिससे उसके गाल पर उसके अंगूठे से चोट भी लगी। उसका हाथ उसके मुंह से दूर होते ही वह चिल्लाई और हल्ला किया तो उसका हल्ला सुनकर शंकर सिंह और रघुवीर सिंह दौड़कर आए और उन्होंने उसे छुड़ाना चाहा तो वह उनको धक्का मार कर भाग गया। हरिराम उसके रहवासी मकान में दीवार कूदकर के अंदर आया था। हरिराम ने उससे छेड़छाड़ व जबरदस्ती करते समय उसकी ओढनी और कुर्ती खींचकर फाड़ दी थी, जिस पर उसने अपने पुत्र को फोन पर सारी बात बताई और उसको घर बुलाया। उसका बेटा घर आया तब उसको साथ लेकर दूसरे दिन घटना की रिपोर्ट थाने पर दी। उसके साथ हरिराम ने जबरदस्ती छेड़छाड़ की व उसने विरोध किया तो छीना झपटी में उसका मंगलसूत्र व कानो के टोप्स गिर गए थे जो बाद में मिल गए। घटना के बाद आस–पास के लोग इकट्ठे हो गए थे। उक्त घटना की तहरीरी रिपोर्ट पुलिस थाना पुष्कर पर उपस्थित होकर दी, जो प्रदर्श पी–1 है जिसमें ए से बी उसकी रिपोर्ट व एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। घटना के दूसरे दिन पुलिस उसके घर घटनास्थल पर आई थी और उसके बताए अनुसार उस स्थान का नक्शा मौका बनाया था। नक्शा मौका बनाया तब वह, उसका लड़का योगेन्द्र सिंह, हरि सिंह व समुन्दर सिंह उपस्थित थे। नक्शा मौका प्रदर्श पी–2 है जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। उसका सोने का मंगलसूत्र व कानों के टोप्स जो उसके साथ छेड़छाड़ हुई उस समय गिर गए थे, जो उस जगह तलाश करने पर मिल गए जिसकी सूचना उसने एस.एच.ओ पुष्कर को दी जो प्रदर्श पी–3 है, जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। उसका मेडिकल भी हुआ था। आई.आर रिपोर्ट शामिल पत्रावली है। उसके अजमेर न्यायालय में मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान भी हुए थे, बयान धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रदर्श पी–4 है, जिसपर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। अभियुक्त हरिराम माली को वह पहचानती है और अगर आज उसके सामने आए तो वह उसे पहचान सकती है। जिसकी चाक एफ आईआर प्रदर्श पी–5 है जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया कि रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 उसने उसके लड़के से लिखवाई थी। रिपोर्ट में उसके लड़के ने वही बात लिखी जो उसके द्वारा लिखवाई गई। प्रदर्श पी–1 में सी से डी भाग लिखाया था लेकिन उसे उसका मंगलसूत्र व कानों के टोप्स दो दिन बाद में उसके प्लाट में चबूतरे के पास में मिल गए थे। उसे उसका सामान मिला तो उसने अपने बेटे और थाने में बता दिया था। उसे उक्त सामान उसका जेवर दिनांक 15 या 16 तारीख को मिल गए थे। उसके जेठ ज्वाला सिंह का मकान उसके मकान से लगता हुआ ही है। उसके मकान व उसके जेठ के मकान के बीच में गेट निकला हुआ है। उसके जेठ ज्वाला सिंह व उसके बच्चे हल्ला होने पर मौके पर नहीं आए थे क्योंकि उनकी उनसे बोल–चाल नहीं है। नारायण गुर्जर घटना के आधा घंटे बाद वहां पर आया था। अड़ौस–पड़ौस के लगभग सभी व्यक्ति वहां पर आ गए थे, पर उनके नाम उसे ध्यान नहीं है। उसके घर के चारों तरफ

चारदीवारी है, उसमें गेट भी लगा हुआ है जो उस वक्त बंद था और हरिराम दीवार कूदकर अंदर आया था। यह कहना सही है कि उसके घर के सामने दातार सिंह का मकान है। यह कहना सही है कि शंकर सिंह व रघुवीर सिंह का मकान दातार सिंह के मकान से दूर है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–2 नक्शा मौका में रघुवीर सिंह का मकान नहीं दर्शाया गया है। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी और उसके बयान भी लिए थे। आरोपी से उसकी पहले से कोई बोलचाल नहीं थी। यह कहना सही है कि आरोपी से इस घटना से पहले उसकी कभी बातचीत नहीं हुई और ना ही उससे उसकी कोई दुश्मनी थी। यह बात सही है कि शंकर सिंह और हरिराम के बीच में अनबन है और इनके बीच आन–जान नहीं है। उसके मकान की चारों तरफ की जो चारीदीवारी है वो लगभग 5–6 फीट ऊंची है। वह नक्शे मौके में नही समझती है। उसके गलाटे में जो चोट आई वो उसके द्वारा उसका अंगूठा काटने के कारण आई। उसने उसके दाहिने हाथ का अंगूठा काटा था। नक्शा मौका घटना के दूसने दिन पुलिसवालों ने बनाया था। नक्शा मौका बनाया तब उसका बेटा, उसके भाई समुन्द्र सिंह व हरि सिंह और पुलिसवाले मौके पर मौजूद थे। पुलिस ने नक्शा मौका बनाया तब अडौसी–पडौसी नहीं आए। रघुवीर सिंह जी और शंकर सिंह जी आ गए थे। उसने प्रदर्श पी–3 रिपोर्ट दिनांक 15.07.2014 को दी थी। प्रदर्श पी–3 उसने उसके बेटे से लिखवाकर दी थी। मजिस्ट्रेट साहब के सामने जिस दिन उसके बयान हुए थे वो तारीख आज उसे ध्यान नहीं है। यह कहना सही है कि मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसके जो बयान हुए थे उसमें उसके मंगलसूत्र व कानों के टोप्स तोड़ने और वापस मिलने वाली बात नहीं बताई। यह बात सही है कि उसके धारा 164 के बयान में प्रदर्श पी–4 में उसे मुलजिम द्वारा धक्का देकर कमरे में ले जाने वाली बात नहीं लिखी हुई है। यह बात भी सही है कि प्रदर्श पी–4 में कपड़े फाड़ने वाली बात लिखी हुई है। कौन–कौनसे कपड़े फाड़े, ओढनी और कुर्ती नहीं लिखा हुआ है। मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसके बयान घटना के बार पांच दिन बाद हुए थे। फटे हुए कपड़े उसने पुलिस को दे दिए थे, पुलिस ने जब्त नहीं किए थे। उसने पुलिस को उसके फटे हुए कपड़े दिए थे जिसमें उसकी कुर्ती का कलर मेहरून था और ओढनी का कलर भी उसकी कुर्ती जैसा ही था। मेहरून कलर से मतलब जामुन जैसे कलर से है। मुलजिम ने उसके साथ छेड़खानी अंदाजन 10 मिनट–आधा घंटा तक की होगी। उसकी कुर्ती फाड़ी तब उसके उस जगह कोई खरोंच नहीं आई थी। आरोपी जब उसको घसीटकर कमरे में लेकर आया उस समय चिल्लाई थी। यह बात सही है कि आरोपी ने उसको पीछे से पकड़ा उस समय वह चिल्लाई थी। उसको पीछे से आरोपी के द्वारा पकड़ते ही चिल्लाने के 10 मिनट बाद शंकर सिंह जी और रघुवीर सिंह जी आ गए थे। वह दो बार चिल्लाई, फिर उसने उसका मुंह भींच लिया था। वह जोर चिल्लाई थी तो उसकी आवाज पडौसियों के घर पहुंच गई थी। उसकी आवाज उसके जेठ के घर व नारायण गुर्जर के घर भी पहुंच गई थी। मुलजिम का मकान उसके मकान से 5–6 घर दूर है। हरिराम के घर के पास किस–किस के मकान हैं, उसे ध्यान नहीं है क्योंकि वह घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलती है। यह बात सही है कि उसे रघुवीर सिंह और शंकर सिंह जी ने रिपोर्ट करवाने के लिए कहा था। यह कहना गलत है कि आरोपी और उसके स्वर्गीय पति पहले साथ–साथ गाड़ी चलाते हों। यह कहना भी गलत है कि उसके पति जब जीवत हो तब हरिराम उनके पास आता हो। यह कहना गलत है कि आरोपी की शंकर सिंह के साथ दुश्मनी हो और शंकर सिंह जी के कहने पर उसने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया हो। यह

कहना भी गलत है कि उसके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं हुई हो और उसने ये झूठा प्रकरण दर्ज करवाया हो। यह कहना भी गलत है कि आरोपी को उसने उसके घर पर बुलाया हो, किसी व्यक्ति द्वारा देखने पर उसने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया हो।

साक्षी पीडब्ल्यू–2 शंकरसिंह ने शपथ पर कथन किया कि दिनाक 13.07.2014 की बात है। रात्रि में अपने घर पर ही था। गर्मी का मौसम था और मौसम बरसात जैसा हो रहा था। लाईट नहीं आ रही थी और वह गर्मी के कारण जाग रहा था, तभी रात के 11:00 बजे एकदम उसके पड़ोस में रहने वाली रामवतार की औरत गुलाब कंवर की चीखने की आवाज सुनाई दी, वो हल्ला करते हुए कह रही थी कि बचाओ छुड़ाओ। जिस पर वह हल्ला सुनकर रामवतार के घर की तरफ गया तो उसी समय हल्ला सुनकर उनके पड़ोसी रघुवीर सिंह भी आ गए, तब वे रामावतार के घर की चबूतरी पर चढ़कर बाहर चारदीवारी के गेट को अंदर हाथ डालकर खोलकर अंदर कमरे की तरफ गए तो कमरे का गेट खुला था और उन्होंने देखा की हरिराम रामावतार की पत्नी के साथ छेड़खानी कर रहा था। उन्होंने देखा की उस समय गुलाब कंवर की कुर्ती और ओढनी फटी हुई थी, जिस पर उन्होंने गुलाब कंवर का बचाव किया तो वह एकदम से उन्हें धक्का देकर भाग गया। वे घटना के समय कमरे के अंदर गए, तो उस समय गुलाब कंवर के गाल पर चोट लगी हुई थी और मुंह से हल्का सा खून भी आ रहा था और उनकी कुर्ती व ओढनी फटी हुई थी। फिर गुलाब कंवर ने उन्हें बताया कि वह सो रही थी और 11:00 बजे बाथरूम करने के लिए उठी और कमरे के बाहर चबूतरे पर आई तो हरिराम ने उसे पीछे से आकर पकड़ लिया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा, वह चिल्लाई तो उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया और उसे घसीटकर कमरे में ले गया और उसके कपड़े फाड़ दिए, फिर उसने बड़ी मुश्किल से उससे छुडाकर हल्ला किया, हरिराम ने हाथ उसके मुंह पर रखा था उसी से उसके गाल के अंदर की तरफ चोट लगी थी। उसके हल्ले से वह आया तो उसको धक्का मारकर वह भाग गया। हरिराम को गुलाब कंवर के साथ उसके कमरे में छेड़खानी करते हुए उन्होने देखा था लेकिन उन्होंने हरिराम को गुलाब कंवर का मगलसूत्र व कानों का टोप्स उतारकर ले जाते हुए नही देखा। उस समय गुलाब कंवर ने उनको हरिराम द्वारा मंगलसूत्र व कानों का टोप्स तोड़कर ले जाने वाली बात भी बताई थी। उन्होने बाद में गुलाब कंवर के घर पर हरिराम के घर पर आने व जाने के खोज अर्थात उसके पैरों के निशान भी देखे थे। पद चिन्ह के निशान के हिसाब से हरिराम गुलाब कंवर के घर की दीवार कूदकर अंदर आया था। हरिराम बदमाश प्रवृति का है, वो ऐसी 3–4 वारदात पहले भी उनके गांव में कर चुका है। गुलाब कंवर के पति का देहांत हो गया तथा उसका बच्चा केकड़ी पढ़ाई करता है तथा वहीं पर रहता है इस कारण गुलाब कंवर अपने घर पर अकेली ही रहती है। उसका मकान गुलाब कंवर के मकान के पास ही है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया कि यह कहना सही है कि घटना के बाद बारिश आई थी। यह कहना भी सही है कि बरसात आती है तो पानी भर जाता है तब मिट्टी पर बूंद के निशान ही रहते है, बाकि निशान मिट जाते हैं। यह कहना सही है कि गुलाब कंवर के जेठ ज्वाला सिंह का मकान गुलाब कंवर के मकान से जुड़ता हुआ ही है। नक्शा मौका प्रदर्श पी–2 में नारायण गुर्जर का मकान बताया गया है। नारायण की मृत्यु हो चुकी है, उसका बेटा कालूराम मकान में रहता है। उस समय कालूराम वहां पर नहीं आया था। ज्वाला सिंह के मकान में ज्वाला सिंह, उसकी पत्नी, उसके लड़के नंद सिंह और दूसरे का नाम

उसे ध्यान नहीं है। प्रदर्श पी–2 में दातार सिंह का जो मकान बताया हुआ है उसमें दातार सिंह उसकी पत्नी और उसका बेटा सुरेन्द्र सिंह व सुरेन्द्र सिंह की पत्नी इत्यादि रहते हैं। प्रदर्श पी–2 में दर्शित दातार सिंह का मकान गुलाब कंवर के मकान से 100 मीटर दूर पड़ता है। उसका मकान गुलाब कंवर के मकान से ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर दूर पडता है। घटनास्थल पर सबसे पहले वह और रघुवीर सिंह पहुंचे थे। उसके मकान से रघुवीर सिंह का मकान 10 फिट दूर पड़ता है। वह और रघुवीर सिंह घटनास्थल पर साथ ही पहुंचे थे, बस दो चार कदम आगे पीछे होंगे। वह हल्ला होने के 5 मिनट बाद में घटनास्थल पर पहुंच गया था। उसने गुलाब के कंवर के मकान के मुख्य गेट का दरवाजा अंदर हाथ डालकर खोला था। उसके बाद वे गुलाब कंवर के कमरे की तरफ गए तो उन्होने देखा कि हरिराम गुलाब कंवर से छेड़खानी कर रहा था और उनको देखकर वो उनको धक्का देकर दीवार कूदकर भाग गया। उसकी उम्र 48 वर्ष है। उससे दीवार कूदी नहीं जाती है। आरोपी द्वारा उसे धक्का देने पर वह गिरा नहीं था लेकिन वह गिरने जैसी स्थिति में आ गया था। आरोपी को उसने कभी गुलाब कंवर के घर आता जाता नहीं देखा। आरोपी ने गुलाब कंवर के कपड़े फाड़ दिए थे, उसकी ओढनी फटी हुई थी और कुर्ती छाती के सामने से फटी हुई थी। उन्होने आरोपी को गुलाब कंवर के कपड़े फाड़ते हुए नहीं देखा था। गुलाब कंवर ने मेहरून कलर की कुर्ती पहन रखी थी। मेहरून कलर का मतलब लाल से ज्यादा गहरा कलर होता है। वे जब गुलाब कंवर के मकान में उसके कमरे के सामने पहुॅचे तो उन्होने आरोपी को गुलाब कंवर से छेड़खानी करते हुए देखा था। उन्हे गुलाब कंवर ने ही बताया था कि उसके साथ में आरोपी ने छेड़खानी की और उसके कपड़े फाड़ दिए। उन्होने देखा की गुलाब कंवर के मुंह से हल्का सा खून आ रहा था। उन्होने आरोपी को गुलाब कंवर को चोट पहुंचाते हुए नहीं देखा। उसकी हरिराम से कोई अनबन नहीं है। आरोपी को जब गुलाब कंवर का पति रामावतार जिन्दा थे उस समय भी हमने उनके घर आते जाते हुए नहीं देखा। यह कहना सही है कि गुलाब कंवर उसके जाति व समाज की है। यह कहना गलत है कि गुलाब कंवर उसके जाति समाज की होने से आज झूठे बयान दे रहा है। यह कहना भी गलत है कि मुलजिम हरिराम से उसकी कोई रंजिश हो और उसने गुलाब कंवर से कह कर उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया हो।

साक्षी पीडब्ल्यू–3 रघुवीर सिंह ने शपथ पर कथन किया कि बांसेली का रहने वाला है तथा उसका रहवासी मकान बांसेली गांव में रामावतार सिंह के घर के पास है। वह उसका पडौसी है। रामावतार सिंह की मृत्यु आज से लगभग 14 साल पहले हो चुकी थी, जिस पर रामावतार की पत्नी गुलाब कंवर अकेली अपने घर पर रहती है। उसका लडका योगेन्द्र सिंह केकड़ी पढता है और वहीं पर रहता है। दिनांक 13.07.2014 को रात के लगभग 11:00 बजे के आसपास की बात है। वह अपने घर पर ही था तथा गर्मी का मौसम था, लाईट नहीं आ रही थी, इसलिए वह जाग रहा था। तभी रात के 11:00 बजे उसके पडौस में रहने वाले रामावतार के घर की तरफ से उसकी औरत गुलाब कंवर के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो बचाओ–बचाओ चिल्ला रही थी, जिस पर हल्ला सुनकर वह रामावतार के घर की तरफ दौडकर गया, तभी वहां पर आवाज सुनकर उनका पडौसी शंकर सिंह भी आ गया था। तब उन्होने रामावतार के घर की चबूतरी पर चढ़कर चारदीवारी के गेट को अन्दर हाथ डालकर खोलकर अन्दर गए, तो उन्होने देखा कि कमरे के अन्दर गुलाब कंवर को हरिराम पुत्र श्योकरण छेड़खानी कर रहा था

और गुलाब कंवर विरोध करते हुए बचने की कोशिश कर रही थी। उस समय गुलाब कंवर की कुर्ती और ओढनी फटी हुई थी और वो कह रही थी कि हरिराम ने उसके कपड़े फाड़ दिए। गुलाब कंवर को हरिराम ने कमर के पीछे से पकड़ रखा था। उसको छुड़ाने के लिए कमरे में घुसे और गुलाब कंवर का बचाव करने लगे तो हरिराम उनको धक्का लगाकर भाग गया। फिर गुलाब कंवर ने उसे व शंकर सिंह को बताया कि वह अपने घर पर सो रही थी कि अचानक रात के 11:00 बजे बाथरुम करने उठी और कमरे के बाहर चबूतरे पर आई, तो हरिराम दीवार फांदकर उनके घर आ गया, उसे पीछे से आकर पकड़ लिया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। वह चिल्लाई तो उसने उसका मुंह हाथ से बन्द कर दिया और उसे घसीटकर कमरे में ले गया और उसके साथ गलत काम करने के उदेश्य से उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके स्तन दबाये, हरिराम ने उसका मुंह भीच रखा था, जिस कारण उसके गाल पर भी चोट लगी थी। बड़ी मुश्किल से उसने उसका हाथ मुंह से हटाकर बचने के लिए हल्ला किया तो उनको देखकर उसे छोडकर धक्का देकर भाग गया। अन्यथा वो उसके साथ और भी गलत काम कर सकता था। उक्त सारी घटना गुलाब कंवर ने उसे व शंकर सिंह को बताई। हरिराम को गुलाब कंवर के साथ छेड़खानी करते हुए उसने व शंकर सिंह ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था, लेकिन उनके सामने मंगलसूत्र व टोप्स ले जाते हुए उन्होने नहीं देखा। उसके बाद उन्होने गुलाब कंवर के घर पर हरिराम दीवार कूदकर आया, इस बाबत पैरों के निशान भी देखे थे। निशानों के आधार पर हरिराम गुलाब कंवर के घर की दीवार कूदकर घर के अन्दर घुसा था और गुलाब कंवर के साथ छेड़खानी भी की थी। हरिराम बदमाश प्रवृति का है। ऐसी 3–4 वारदात पहले भी उसके गांव में कर चुका है, जिस पर उन्होने गुलाब कंवर को पुलिस में रिपोर्ट करने को कहा। उसने कहा कि वह अपने बेटे को केकड़ी से बुलायगी और उसके साथ जाकर रिपोर्ट दर्ज करायेगी। हरिराम ने गुलाब कंवर के घर में रात्रि को घुसकर उसे पकड़कर छेड़खानी की व उसके चोट भी पहुंचाई। हरिराम, जिसने 13.07.2014 को रात्रि में गुलाब कंवर के घर में प्रवेश करके, उसे पकड़कर उसके साथ छेड़खानी की थी व उसे चोट पहुंचाई थी, उसे उसने अपनी आखों से देखा था व आज भी वो अगर उसके सामने आए तो वह उसे पहचान सकता। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया यह कहना सही है कि बरवक्त घटना लाईट नहीं थी और अधेरा हो रखा था। यह सही है कि गुलाब कंवर के जेठ का मकान भी गुलाब कंवर के मकान के लगता हुआ ही है। यह भी सही है कि गुलाब कंवर के मकान के पास नारायण गुर्जर का भी मकान है, जहां नारायण का बेटा कालूराम रहता है। गुलाब कंवर के जेठ ज्वाला सिंह के मकान में ज्वाला सिंह, उसकी पत्नी, उसका लडका नन्द सिंह व दूसरा बेटा, जिसका नाम उसे आज ध्यान नहीं है, रहते हैं। यह भी सही है कि दातार सिंह का मकान भी गुलाब कंवर के मकान के पास ही है, जिसमें दातार सिंह, उसकी पत्नी, उसका बेटा सुरेन्द्र सिंह व उसकी पत्नी रहते हैं। स्वतः कहा कि दातार सिंह का मकान थोड़ा डीप में है। दातार सिंह के मकान से गुलाब कंवर के मकान की दूरी करीब 150–200 मीटर है। उसके मकान की और गुलाब कंवर के मकान की एक ही दीवार है। शंकर सिंह के मकान की और उसके मकान की भी एक ही दीवार है। शंकर सिंह के मकान और गुलाब कंवर के मकान के बीच उसका मकान स्थित है। घटना स्थल पर हो हल्ला होने के बाद सबसे पहले शकर सिंह पहुंचा था, उसके पीछे–पीछे वह पहुंचा था। स्वतः कहा कि वे लगभग साथ साथ ही घटनास्थल पर पहुंचे थे। गुलाब कंवर के मकान की चारदीवारी का गेट

शंकर सिंह ने खोला था, वह उसके पीछे था। वह हो–हल्ला होने के 5–7 मिनट बाद मौके पर पहुंचा था। आरोपी को वह जन्म से ही जानता है। उसने देखा कि आरोपी ने गुलाब कंवर को पीछे से पकड़ रखा था। उसने व शंकर सिंह ने आरोपी के दोनों हाथ पकड़कर गुलाब कंवर से दूर किया था। गुलाब कंवर के जेठ ज्वाला सिंह, उसकी पत्नी और बच्चों को उसने मौके पर नहीं देखा। गुलाब कंवर उसकी पडौसी है व समाज की है। शंकर सिंह उसका भाई है। उसने आरोपी को घटना के दिन से पहले कभी गुलाब कंवर के घर आते–जाते नहीं देखा। गुलाब कंवर को आरोपी हरिराम से छुडाते ही आरोपी उनको धक्का देकर तुरन्त वहां से भाग गया। गुलाब कंवर के मकान में जाने से पहले चबूतरी आती है। गुलाब के मकान में कितने कमरे है, यह उसे पता नहीं। स्वतः कहा कि 3–4 रूम होंगे। ज्वाला सिंह का मकान और गुलाब कंवर का मकान एक दूसरे के आगे–पीछे है और दोनों का निकास एक दिशा में नहीं है। गुलाब कंवर ने बताया कि उसके मुंह में लग गई थी। यह बात गुलाब कंवर ने उसे व शंकर सिंह दोनों को बताई। गुलाब कंवर के चोट कैसे लगी, यह उन्होने नहीं देखा। गुलाब कंवर ने कौनसे कलर की ओढनी व कुर्ती पहन रखी थी, उसे ध्यान नहीं है। ओढनी और फुर्ती 2–3 जगह से फटी हुई थी। ओढनी कितनी लम्बी या चौडी फटी हुई थी, इसका उसने नाप नहीं लिया क्योंकि उसके पास फीता नहीं था। गुलाब कंवर की कुर्ती स्तन के ऊपर से व थोडा नीचे से भी फटी हुई थी। नीचे दायीं तरफ से फटी थी या बायीं तरफ से फटी थी, यह उसे ध्यान नहीं। कुर्ती का कलर क्या था, उसे ध्यान नहीं। हरिराम रामावतार का दोस्त रहा हो और उसके घर आता–जाता रहता हो, यह उन्होने कभी नहीं देखा। उन्होने हरिराम को गुलाब कंवर के कपड़े फाड़ते हुए नहीं देखा था। हरिराम से उसकी कोई अनबन नहीं है। यह कहना गलत है कि उसकी हरिराम से अनबन होने के कारण वह आज झूठे बयान दे रहा है।

साक्षी पीडब्ल्यू–4 रूपाराम ने शपथ पर कथन किया कि वह दिनांक 17.07.2014 को थाना पुष्कर पर कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन प्रकरण संख्या 159/14 धारा 458, 323, 354बी भारतीय दण्ड संहिता के अनुसंधान अधिकारी जगदीश प्रसाद सब इंस्पेक्टर ने प्रकरण के अभियुक्त हरिराम को थाना हाजा पर उसके व नरेन्द्र सिंह कानि. की उपस्थिति में जरिये फर्द प्रदर्श पी–6 गिरफ्तार किया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने कथन किया कि उस दिन आरोपी ने किस कलर के पेंट–शर्ट पहन रखे थे, उसे आज ध्यान नहीं है। आरोपी की पहचान हेतु शरीर पर कोई विशेष निशान हो तो उसे ध्यान नहीं है। आरोपी गिरफ्तार करने से पहले थाने पर था। आरोपी को थाने पर कौन लेकर आया, यह उसे ध्यान नहीं है। आरोपी के शरीर पर चोट के निशान थे या नहीं, उसे ध्यान नहीं है।

साक्षी पीडब्ल्यू–5 भंवर दुर्गादत्त सिंह ने शपथ पर कथन किया कि वह दिनांक 14.07.2014 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुष्कर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाना पुष्कर की तहरीर पर उसके द्वारा आहत गुलाब कंवर के शरीर पर आई चोटो का मुआयना कर चोट प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रदर्श पी–7 तैयार की थी, जिस पर ए से बी चोट बाबत राय व सी से डी उसके हस्ताक्षर है व ई से एफ चोटों की अवधि अंकित है जिसके अनुसार चोटे निम्न है, चोट संख्या–1 दाहिने गाल के अंदर की ओर रगड़ की चोट, चोट संख्या 2– दाहिने गाल पर दर्द की शिकायत, दोनो चोटें साधारण व कुंद हथियार से कारित

थी, उक्त चोटों की अवधि 24 घण्टे के भीतर की थी। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–7 में वर्णित चोटें गिरने–पड़ने से आ सकती है।

साक्षी पीडब्ल्यू–6 हरिसिंह ने शपथ पर कथन किया कि उसकी बहिन जो बांसेली में रहती है। दिनांक 13.07.2014 को जब वो अकेली घर में थी तो रात्रि में उसी गांव का हरिराम ने उसके घर पर जब लाईट गई हुई थी, बाथरूम करके जा रही थी तब उसको पकड़ लिया था और उसके साथ छेड़खानी की थी जिस पर उसकी बहिन ने उसे फोन किया तो अगले दिन वह और उसका भाई समंदर सिंह बांसेली गए थे, तब पुलिस थाना पुष्कर से पुलिस घटनास्थल पर आई थी और उसके भाई समंदर सिंह के सामने उसकी बहिन गुलाब कंवर के बताए अनुसार घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी–2 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया कि यह कहना सही है कि वह घटना के समय मौके पर नहीं था। यह कहना भी सही है कि उसे तो उसकी बहिन ने बताया था।

साक्षी पीडब्ल्यू–7 समंदर सिंह ने शपथ पर कथन किया कि उसकी बहिन जो बांसेली में रहती है। दिनांक 13.07.2014 को जब वो अकेली घर में थी तो रात्रि में उसी गांव का हरिराम ने उसके घर पर जब लाईट गई हुई थी, बाथरूम करके जा रही थी, तब उसको पकड़ लिया था ओर उसके साथ छेड़खानी की थी जिस पर उसकी बहिन ने उसे फोन किया तो अगले दिन वह और उसका भाई हरि सिंह बांसेली गए थे, तब पुलिस थाना पुष्कर से पुलिस घटनास्थल पर आई थी और उसके भाई समंदर सिंह के सामने उसकी बहिन गुलाब कंवर के बताए अनुसार घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी–2 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया कि यह कहना सही है कि वह घटना के समय मौके पर नहीं था। यह कहना भी सही है कि उसे तो उसकी बहिन ने बताया था।

साक्षी पीडब्ल्यू–8 योगेन्द्र सिंह ने शपथ पर कथन किया कि वह बांसेली का रहने वाला है, उसके पिताजी का स्वर्गवास 08.03.2010 को हो गया था और वह 2014 में केकड़ी में आईटीआई कर रहा था, उसकी मां गुलाब कंवर बांसेली में उनके घर पर अकेली रहती थी। दिनांक 13.07.2014 की रात्रि के समय करीब 11–12 बजे के आसपास उसकी मां का उसके पास फोन आया और उसे बताया की वह रात्रि के 11:00 बजे के आसपास घर पर कमरे में अकेली सो रही थी, लाईट गई होने के कारण उसने कमरे के गेट खोल रखे थे, रात्रि के 11:00 बजे जब वह बाथरूम जाने के लिए कमरे से बाहर गई थी तो उसी वक्त हरिराम पुत्र श्योकरण निवासी बांसेली चुपके से आया और उसे पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती छेड़खानी करने लग गया और उसे कमरे के अंदर ले जाकर उसके साथ छेड़खानी करता रहा, उसके कपड़े फाड़ दिए जिस पर उसने हल्ला किया तो उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया फिर जबरदस्ती उसने उसका हाथ मुंह से हटाकर हल्ला किया तो पड़ौसी रघुवीर सिंह व शंकर सिंह दौड़ कर आए व उसको छुड़ाना चाहा तो हरिराम उनको धक्का देकर भाग गया, जिस पर यह बात उसे उसकी मम्मी ने बताई, फिर वह अगले दिन उसके घर पर आया तो मम्मी ने फिर से उसे सारी बात विस्तार से बताई और बताया की हरिराम घर की दीवार फांद कर घर में चुपके

से प्रवेश करके उसे बाहर चबूतरी पर पकड़ा और छेड़खानी करते हुए कमरे में ले गया। उसकी मम्मी के उस समय ओढ़नी और जो कुर्ती पहनी हुई थी वो फटी हुई थी और मम्मी के दाहिने गाल पर चोट आई हुई थी, जो हरिराम के अंगूठी से आना बताई थी फिर वह उसकी मम्मी को लेकर 14 तारीख को ही पुलिस थाना पुष्कर पहुंचा, जहां उसकी मम्मी ने उसे जो–जो बोलकर बताया वो उसने लिखा और लिखित रिपोर्ट थानाधिकारी को पेश की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 है, जो ए से बी उसकी कलमी है व सी से डी उसके हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर उसकी मम्मी की अंगूठा निशानी है। उसकी मम्मी के गले का मंगलसूत्र और कानों के टोप्स जो छेड़खानी में गिर गए थे वो वापिस घर पर ही तलाश करने पर मिल गए थे, जिसकी रिपोर्ट उसने थानाधिकारी को दी थी जो प्रदर्श पी–3 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–5 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके बयान भी लिए थे। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया कि यह कहना सही है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी। यह कहना सही है कि उसे तो उसकी मम्मी ने सारी घटना बताई थी।

साक्षी पीडब्ल्यू–9 महिपाल ने शपथ पर कथन किया कि दिनांक 14.07.2014 को वह पुलिस थाना पुष्कर पर थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन श्रीमती गुलाब कंवर अपने पुत्र योगेन्द्र सिंह के साथ थाना हाजा पर उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट उसके समक्ष पेश की जिस पर कार्यवाही पुलिस का अंकन कर जुर्म धारा 323, 354बी, 379, 458 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर प्रकरण संख्या 159/2014 की तफतीश जगदीश प्रसाद उप निरीक्षक के जिम्मे की। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–5 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया कि यह कहना सही है कि उसने उक्त प्रकरण में कोई अनुसंधान नहीं किया। यह कहना सही है कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में कार्यवाही पुलिस उसकी खुद की कलमी नहीं होकर उसके निर्देशन में लिखवाई गई है। यह कहना सही है कि उसने परिवादिया के कोई जाहिरा चोट नहीं देखी, इसी वजह से कार्यवाही पुलिस में जाहिरा चोट का अंकन नहीं है।

साक्षी पीडब्ल्यू–10 संपतसिंह ने शपथ पर कथन किया कि दिनांक 10.08.2014 को वह पुलिस थाना पुष्कर पर एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसके द्वारा एसएचओ के निर्देशानुसार एफआईआर नंबर 159/2014 धारा 458, 354बी, 323 भारतीय दण्ड संहिता में मजरूबा गुलाब कंवर को लेकर अजमेर गया, जहां सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग अजमेर के यहां धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान करवाके वापसी थाने पर आया। धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान प्रदर्श पी–4 है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उक्त साक्षी से बावजूद अवसर दिए जाने कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

साक्षी पीडब्ल्यू–11 जगदीश प्रसाद ने शपथ पर कथन किया कि वह दिनांक 14.07.2014 को पुलिस थाना पुष्कर पर एसआई के पद पर तैनात था। उस रोज परिवादिया गुलाब कंवर ने अपने पुत्र योगेन्द्र के साथ थाना हाजा पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट एसएचओ महिपाल सिंह के सामने पेश की, जिस पर एसएचओ ने कार्यवाही पुलिस अंकित कर प्रकरण धारा 458, 354बी, 323, 379 भारतीय दण्ड संहिता मुकदमा नंबर 159/2014 में

दर्ज कर अनुसंधान उसके जिम्मे किया जिस पर उसके द्वारा दौराने अनुसंधान दिनांक 14.07.2014 को ही घटनास्थल पर जाकर समंदर सिंह और हरिसिंह गवाहन के समक्ष मजरूबा गुलाब कंवर की उपस्थिति में उसके बेटे योगेन्द्र सिंह के समक्ष मजरूबा के बताए अनुसार घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–2 बनाया जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहन, ई से एफ योगेन्द्र सिंह, जी से एच उसके हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर मजरूबा की अंगूठा निशानी है जिसके पुश्त भाग पर हालात मौका अंकित है। उसके द्वारा दौराने अनुसंधान मजरूबा गुलाब कंवर, योगेन्द्र सिंह, शंकर सिंह, रघुवीर सिंह के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किए। मजरुबा गुलाब कंवर का मेडिकल कराकर आईआर रिपोर्ट शामिल पत्रावली की जो प्रदर्श पी–7 है जिस पर जी से एच शामिल पत्रावली का नोट अंकित कर उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान मुलजिम हरिराम पुत्र श्योकरण निवासी बांसेली के विरूद्ध धारा 458, 354 बी, 323 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर नरेन्द्र सिंह व रूपाराम गवाहन के समक्ष जरिये फर्द गिरफ्तार किया जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–6 है जिस पर ए से बी. सी से डी गवाहन, ई से एफ मुलजिम, जी से एच उसके हस्ताक्षर है। गुलाब कंवर ने उसको चोरी नहीं होने का तथा सामान वापिस मिलने का प्रार्थना पत्र दिया था, जो प्रदर्श पी–3 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात उसका स्थानांतरण हो जाने पर पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु उसके द्वारा एसएचओ रविन्द्र सिंह को सुपुर्द कर दी तथा अग्रिम अनुसंधान संपत सिंह एएसआई द्वारा किया गया था, जिनके द्वारा मुलजिम हरिराम के विरूद्ध धारा 323, 354 बी, 458 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित मानते हुए अनुसंधान पत्रावली रविन्द्र सिंह जी को सुपुर्द की थी, जिस पर रविन्द्र सिंह जी द्वारा उपरोक्त मुलजिम के विरुद्ध उपरोक्त धाराओ में ही चार्जशीट किताकर चालान न्यायालय में पेश किया चार्जशीट के प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी एसएचओ रविन्द्र सिंह के हस्ताक्षर हैं जिनके साथ काम करने से उनके हस्ताक्षर वह पहचानता है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया कि उसके अनुसंधान में घटनास्थल ग्राम बांसेली का था। यह सही है कि नक्शामौका में बांसेली के किसी गवाह को नहीं बुलाया था। यह कहना कि नक्शामौका में दर्शित किए गए गवाहन ग्राम आलनियावास के हैं, जो उसके द्वारा नहीं बुलाए गए थे, परिवादी स्वयं ही लेकर आया था। यह कहना सही है घटनास्थल परिवादिया के कब्जा एवं स्वामित्व का स्थान हो ऐसा कोई रिपोर्ट व दस्तावेज उसके द्वारा नहीं लिया गया था। यह कहना सही है उसने जो नक्शामौका दर्शित किया है उसमें मुख्य रास्ता नहीं दिखा रखा है। नक्शामौका में ए से बी व सी से डी चारों तरफ की दूरी कितनी है, वह नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि ए से बी, सी से डी के मध्य भाग में मकान बना है, बाकी चारों तरफ खाली है। यह कहना सही है कि नक्शामौका में ए से बी, सी से डी भाग में लाईट लगी हो यह दर्शित नहीं किया हुआ है। यह कहना गलत है कि उसने गवाहन के बयान उनके कथनारमार लेखबद्ध नहीं किए हो। उसने सर्वप्रथम प्रार्थीया के बयान लिए थे, फिर नक्शामौका बनाया। उसने दोनो उसी दिन बना लिए थे। उसने नक्शामौका बनाया तब मजरूबा द्वारा जो–जो घटनास्थल बताया उसका अच्छी तरह निरीक्षण किया था। उसने निरीक्षण किया तब वहां पर कोई टोप्स वगैरह नहीं थे। यह कहना सही है कि परिवादिया ने कानों के टोप्स चोरी होने का और मिलने का प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी–3 झूठा दिया था क्योंकि उसने 14 तारीख को नक्शामौका घटनास्थल

बनाया था। उसने मजरूबा का मेडिकल 14 तारीख को ही करवाया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–7 पर समय व दिनांक में कांटछांट हो रखी है। यह कहना सही है प्रदर्श पी–6 पर गवाह पुलिसकर्मी हैं। यह कहना सही है उसने मुलजिम को थाने पर गिरफ्तार किया था। यह कहना भी सही है वह मुलजिम को पकड़ कर नहीं लाया था, मुलजिम खुद ही थाने पर आया था। यह कहना गलत है कि उसने गलत अनुसंधान कर मुलजिम को झूठा फंसाया हो।

12- इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सकल मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के सूक्ष्म अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में आपराधिक अभियांत्रिकी का प्रादुर्भाव परिवादिया गुलाब कंवर द्वारा दिनांक 14.07.2014 को थानाधिकारी पुलिस थाना पुष्कर के समक्ष प्रदर्श पी–3 तहरीरी रिपोर्ट पेश करने पर हुआ, जिसके माध्यम से उसने कथन किया कि दिनांक 13.07.2014 को समय करीब रात्रि 11 बजे वह अपने घर पर अकेली थी और उसका बेटा केकड़ी पढ़ाई करता है। रात्रि में हरिराम उसके घर दीवार कूद कर आया और उसके साथ छेड़छाड़ की, उसके कपड़े फाड़ दिए। उसके गले का मंगलसूत्र आधा तोला व उसके कान के एक तोला सोने के थे, जो वो तोड़ कर ले गया। उसने हल्ला किया, आस–पास के लोगों ने उसका बीच बचाव किया। हरिराम मौके से फरार हो गया। रघुवीर सिंह व शंकर सिंह ने उसका बीच–बचाव किया, जिससे प्रकट होता है कि प्रकरण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी परिवादिया गुलाब कंवर स्वयं तथा बीच बचाव करने आए शंकर सिंह व रघुवीर सिंह हैं, जो न्यायालय के समक्ष क्रमशः पीडब्ल्यू–1, पीडब्ल्यू–2 व पीडब्ल्यू–3 के रूप में परीक्षित हुए हैं, जिनमें साक्षी गुलाबकंवर परिवादिया पीडब्ल्यू–1 ने अपने मुख्य परीक्षण में स्वयं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में अंकित तथ्यों की विस्तृत रूप से पुनरावृत्ति की और अपनी साक्ष्य में यह भी बताया कि दिनांक 13.07.2014 को वह रात्रि 11:00 बजे घर पर अकेली कमरे में सो रही थी और जब रात को वह बाथरूम करने के लिए वह बाहर चबूतरे पर आई तो हरिराम आया और उसे चबूतरे पर पीछे से पकड़ कर धक्का देकर कमरे में ले गया। कमरे के अंदर उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके स्तन दबाये तथा छेड़खानी करने लगा। उसने छुड़ाने की बहुत कोशिश की तो उसने उसके मुंह को अपने हाथ से भींच रखा था, जिसका अंगूठा दांतों से दबाया तो उसने हाथ अलग कर लिया, जिससे उसके गाल पर उसके अंगूठे से चोट भी लगी। उसका हाथ उसके मुंह से दूर होते ही वह चिल्लाई और हल्ला किया तो उसका हल्ला सुनकर शंकर सिंह और रघुवीर सिंह दौडकर आए, जब उसने छुड़ाने की कोशिश की तो उसके गाल पर हरिराम के अंगूठे से चोट लगी थी और साथ ही उक्त साक्षी अपने कथनों के समर्थन में 4 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए, जिनमें तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1, नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–2, सोने का मंगल सूत्र व कानों के टोप्स मिल जाने के सम्बंध में प्रार्थनापत्र प्रदर्श पी–3 व स्वयं के धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध करवाए गए कथन प्रदर्श पी–4 हैं। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसके जेठ ज्वाला सिंह का मकान उसके मकान से लगता हुआ है लेकिन उसका जेठ ज्वाला सिंह व उसके बच्चे हल्ला होने पर मौके पर नहीं आए थे क्योंकि उनकी उनसे बोलचाल नहीं है। आगे इस साक्षी ने कथन किया कि उसके घर के चारों तरफ चारदीवारी है, उसमें गेट भी लगा हुआ है जो उस वक्त बंद था और हरिराम दीवार कूदकर अंदर आया था। यह स्वीकार किया कि उसके घर के

सामने दातार सिंह का मकान है। यह स्वीकार किया कि शंकर सिंह व रघुवीर सिंह का मकान दातार सिंह के मकान से दूर है। यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–2 नक्शा मौका में रघुवीर सिंह का मकान नहीं दर्शाया गया है। साक्षी ने आगे कथन किया कि आरोपी से उसकी पहले से कोई बोलचाल नहीं थी। यह भी स्वीकार किया कि आरोपी से इस घटना से पहले उसकी कभी बातचीत नहीं हुई और ना ही उससे उसकी कोई दुश्मनी थी। आगे यह स्वीकार किया कि शंकर सिंह और हरिराम के बीच में अनबन है और इनके बीच आन–जान नहीं है। उसके मकान की चारों तरफ की जो चारीदीवारी है वो लगभग 5–6 फीट ऊंची है। आगे इस साक्षी ने अपने गलाट पर चोट आने के सम्बंध में बताया कि जो चोट आई है, वह उसके द्वारा हरिराम का अंगूठा काटाने से आई। इस प्रकार उक्त साक्षी से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई परन्तु उक्त साक्षी अपने मुख्य परीक्षण के कथनों के संदर्भ में अखंडित रही। इस प्रकार परिवादिया ने अपनी मुख्य परीक्षण के कथनों में अपनी तहरीरी रिपोर्ट की ताईद की है, जिससे अभियोजन की कहानी पर संदेह उत्पन्न नहीं होता है।

13- आगे प्रकरण के चश्मदीद साक्षी शंकर सिंह पीडब्ल्यू–2 व साक्षी पीडब्ल्यू–3 रघुवीर सिंह पीडब्ल्यू–3 ने अपने मुख्य परीक्षण के कथनों में परिवादिया आहात गुलाब कंवर पीडब्ल्यू –1 के कथनों की भांति ही कथन किए और न्यायालय के समक्ष साक्ष्य दी कि दिनांक 13.07.2014 को रात्रि के लगभग 11 बजे वे अपने घर पर थे। गर्मी का मौसम था और बरसात जैसो मौसम हो रहा था, लाईट नहीं आ रही थी, इसलिए वे जाग रहे थे तभी रात के 11 बजे उनके पड़ोस में रहने वाली रामावतार जी की औरत गुलाब कंवर की चीखने की आवाज सुनाई दी, जिस पर वे भाग कर गए और रामावतार जी के घर की चबूतरी पर चढकर बाहर चारदीवारी के गेट को अंदर हाथ डालकर खोलकर अंदर कमरे की तरफ गए तो कमरे का गेट खुला था और उन्होने देखा कि हरिराम रामावतार की पत्नी के साथ छेड़खानी कर रहा था और गुलाब कंवर विरोध कर रही थी। उसकी कुर्ती और ओढनी फटी हुई थी, जिसका उन्हाने बीचबचाव किया तो हरिराम उन्हे धक्का देकर भाग गया। उन्होने बाद में गुलाब कंवर के घर पर हरिरराम दीवार कूद कर आया इस बाबत् पैरों के निशान भी देखे। उक्त दोनो साक्षीगण से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई, जिसमें गवाह शंकर सिंह पीडब्ल्यू–2 ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि घटना के बाद बारिश आई थी। गुलाब कंवर के जेठ ज्वाला सिंह का मकान गुलाब कंवर के मकान से जुडता हुआ ही है। नक्शा मौका प्रदर्श पी–2 में नारायण गुर्जर का मकान बताया गया है। नारायण की मृत्यु हो चूंकि है और उसका बेटा कालूराम मकान में रहता है। उस समय कालूराम वहां नहीं आया। घटनास्थल पर सबसे पहले और रघुवीर सिंह पहुॅचे थे। जब वे गुलाब कंवर के कमरे की तरफ गए तो उन्होने देखा कि हरिराम गुलाब कंवर से छेड़खानी कर रहा था और उन्हे देखकर उनको धक्का देकर दीवार कूदकर का भाग गया। आरोपी ने गुलाब कंवर के कपड़े फाड़ दिए थे। उसकी ओढनी फटी हुई थी और कुर्ती छाती के सामने से फटी हुई थी। वे जब गुलाब कंवर के मकान में उसके कमरे के सामने पहुॅचे तो उन्होने आरोपी को गुलाब कंवर से छेड़खानी करते हुए देखा था। इसी प्रकार से अन्य साक्षी रघुवीर सिंह पीडब्ल्यू–3 ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि गुलाब कंवर के जेठ का मकान भी गुलाब कंवर के मकान के लगता हुआ ही है। गुलाब कंवर मकान के पास नारायण गुर्जर का भी मकान है, जहां नारायण

का बेटा कालूराम रहता है। यह स्वीकार किया कि दातार सिंह का मकान भी गुलाब कंवर के मकान के पास ही है। उसके मकान की और गुलाब कंवर के मकान की एक ही दीवार है और शंकर सिंह के मकान की और उसके मकान की भी एक ही दीवार है तथा शंकर सिंह के मकान और गुलाब कंवर के मकान के बीच उसका मकान है। शंकर सिंह के मकान और गुलाब कंवर के मकान के बीच उसका मकान स्थित है। घटनास्थल पर हो–हल्ला होने के बाद सबसे पहले शंकर सिंह पहुॅचा था और फिर कहा लगभग साथ–साथ ही पहुॅचे थे। आरोपी को वह जन्म से जानता है। उसने देखा कि आरोपी ने गुलाब कंवर को पीछे से पकड़ रखा था । उसने और शंकर सिंह ने आरोपी के दोनो हाथ पकड़ कर गुलाब कंवर से दूर किया था। गुलाब कंवर को हरिराम से छुडाते ही आरोपी उन्हे धक्का देकर तुरन्त वहां से भाग गया। गुलाब कंवर की कुर्ती स्तन के उपर से व थोड़ा नीचे से भी फटी हुई थी। इस प्रकार से इन दोनो साक्षीगण से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई लेकिन उक्त साक्षीगण अपने मुख्य परीक्षण के कथनों के संदर्भ में अखंडित रहे, जिसे भी अभियोजन की कहानी पर कोई संदेह उत्पन्न नहीं होता है।

14- आगे साक्षी रूपाराम पीडब्ल्यू–4 ने प्रकरण में अभियुक्त हरिराम की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–6 पर स्वयं के हस्ताक्षर बाबत् औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है। अन्य साक्षी हरि सिंह पीडब्ल्यू–6 व समंदर सिंह पीडब्ल्यू–7 ने नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–2 पर स्वयं के हस्ताक्षर बाबत् औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है। यद्यपि उक्त गवाह ने प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह घटना के समय मौके पर नहीं था परन्तु न्यायालय यहां यह उल्लेख करना वांछनीय समझता है कि उक्त दोनो साक्षीगण ने मात्र घटनास्थल का नक्शा मौका उनके सामने बनाये जाने की औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है। ऐसी स्थिति में उक्त दोनो साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में हुए कथन से अभियोजन कहानी विचलित नहीं होती है।

15- आगे चिकित्सीय साक्षी भंवर दुर्गादत्त सिंह पीडब्ल्यू–5 ने आहत गुलाब कंवर के चोटों का मेडिकल कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–7 तैयार करने बाबत् औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य देते हुए आहत के कारित दोनो चोटें साधारण प्रकृति की बताई, जिसमें आहत के एक चोट दाहिने गाल के अंदर की ओर रगड की चोट और दूसरी दाहिने गाल पर दर्द की शिकायत थी। उक्त चिकित्सीय साक्षी के कथनों परिवादिया आहता के गाल पर घटना की दिनांक को चोट कारित होने की पुष्टि होती है।

16- साक्ष्य की इसी कड़ी में साक्षी योगेन्द्र सिंह पीडब्ल्यू–8 अपने मुख्य परीक्षण में परिवादिया आहता गुलाब कंवर पीडब्ल्यू–4 के कथनों की भांति ही कथन किए। न्यायालय यहां यह उल्लेख करना वांछनीय समझता है कि उक्त गवाह परिवादिया आहता गुलाब कंवर का पुत्र है, जो वक्त घटना मौके पर नहीं था अपितु वह केकड़ी निवास कर रहा था और घटना के दूसरे दिन गांव आने पर अपनी माता के साथ पुलिस थाना में रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 पेश करने की औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य देता है। यद्यपि उक्त गवाह ने यह स्वीकार किया कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी। इस सम्बंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि साक्षी योगेन्द्र सिंह पीडब्ल्यू–8 परिवादिया आहात गुलाब कंवर का पुत्र है एवं प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में जब परिवादिया के साथ इस प्रकार की घटना घटित हुई तो निःसंदेह उक्त घटना बाबत् अपने निकटतम

रिश्तेदार, अपने पुत्र को बताएगी एवं पुत्र के आने के बाद ही परिवादिया आहता द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के बयान से भी अभियोजन की कहानी पर संदेह उत्पन्न नहीं होता है। आगे साक्षी महिपाल पीडब्ल्यू–9 ने अपने कथनों में परिवादिया गुलाब कंवर द्वारा अपने पुत्र योगेन्द्र सिंह के साथ पुलिस थाना में उपस्थित होकर उसके समक्ष एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 पेश करने पर उसके अनुसरण में उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 जारी करने बाबत् औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है। साथ ही गवाह संपत सिंह पीडब्ल्यू–10 ने परिवादिया गुलाब कंवर के दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के कथन न्यायालय में लेखबद्ध करवाने बाबत् औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है। अंत में अनुसंधान अधिकारी जगदीश प्रसाद पीडब्ल्यू–10 ने स्वयं द्वारा किए गए अनुसंधान बाबत् विस्तृत सकारात्मक साक्ष्य दी एवं अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त गवाह ने यह स्वीकार किया क परिवादिया ने कानों के टोपस चोरी होने का और मिलने का प्रार्थनापत्र प्रदर्श पी–3 झूठा दिया था। इसके अतिरिक्त उक्त गवाह ने प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई कथन नहीं किया जिससे अभियोजन की कहानी पर संदेह उत्पन्न हो।

17- इस न्यायालय के विनम्र अभिमत में हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा रात्रि के समय परिवादिया आहात के मकान में प्रच्छन्न गृहअतिचार करते हुए उसके कपड़े फाड़ने व उस पर आपराधिक बल करते हुए उसके साथ मारपीट करने का आरोप है तथा अभियुक्त ने दिनांक 13.07.2014 की रात्रि में परिवादिया आहता गुलाब कंवर के घर में रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार किया इस तथ्य की पुष्टि गुलाब कंवर पीडब्ल्यू–1, शंकर सिंह पीडब्ल्यू–2 व रघुवीर सिंह पीडब्ल्यू–3 भी करते हैं। अभियुक्त ने परिवादिया आहता के साथ छेड़खानी की और उसके कपड़े फाडे इस तथ्य की पुष्टि प्रकरण की परिवादिया गुलाब कंवर एवं चश्मदीद साक्षीगण शंकर सिंह पीडब्ल्यू–2 व रघुवीर सिंह पीडब्ल्यू–3 करते हैं एवं परिवादिया के कारित चोट की पुष्टि उक्त तीनों साक्षीगण के अतिरिक्त चिकित्सीय साक्षी भंवर दुर्गदत्त सिंह पीडब्ल्यू–5 भी करता है। यद्यपि उक्त समस्त साक्षीगण के बयान में छोटा–मोटा विरोधाभास न्यायालय के समक्ष प्रकट हुआ है किन्तु प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में यह सम्भव है क्योंकि प्रकरण में घटना वर्ष 2014 की है और अभियोजन पक्ष के बयान वर्ष 2018 में लेखबद्ध होना शुरू किए गए। ऐसी स्थिति में 04 वर्ष के लम्बे समय के पश्चात घटना के समुचित वृतांत में थोड़ा बहुत विरोधाभास आना सम्भव है। इस प्रकार प्रकरण में अभियुक्त द्वारा परिवादिया गुलाब कंवर के मकान में प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृहअतिचार करने एवं परिवादिया के कपड़े फाड़ कर उसे निर्वस्त्र करने के आशय से उस पर हमला/आपराधिक बल का प्रयोकर परिवादिया के साथ कुंदाले से स्वेच्छया मारपीट कर साधारण उपहति कारित करने के सम्बंध में स्वतंत्र साक्षी शंकर सिंह पीडब्ल्यू–2 व साक्षी रघुवीर सिंह पीडब्ल्यू–3 के बयान एक–दूसरे से समर्थित एवं सम्पुष्टिक ढंग से प्रस्तुत हुए हैं।

18- अभियोजन पक्ष ने अपनी कहानी के समर्थन में जो साक्ष्य पेश की है, उसका कोई खण्डन अभियुक्त पक्ष द्वारा नहीं किया गया है एवं न ही पत्रावली पर उपलब्ध है। अभियोजन कहानी को नहीं मानने का न्यायालय के समक्ष कोई संतोषजनक कारण विद्यमान नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष की ओर से अपनी कहानी के प्रमाणीकरण के सम्बंध में जो साक्ष्य पेश की गई है, उससे अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षीगण के कथनों में कोई तात्विक

विरोधाभास प्रकट नहीं हेाता है एवं ऐसा कोई तथ्य भी प्रकट नहीं हुआ है, जिससे अभियोजन की कहानी संदेह के बादलों से आच्छादित हो। परिणामस्वरूप अभियोजन कहानी प्रमाणित मानी जाती है।

19- सम्प्रति, अभियोजन पक्ष, अपनी साक्ष्य के आधार पर इस अवधारणीय बिन्दु को युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा कि अभियुक्त ने दिनांक 13.07.2014 की रात्रि में समय करीब 11:00 बजे ग्राम बांसेली में परिवादिया गुलाब कंवर के मकान में प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित कर परिवादिया के कपड़े फाड़ कर उसे निर्वस्त्र करने के आशय से उस पर हमला/आपराधिक बल का प्रयोग किया और परिवादिया के साथ कुंदाले से स्वेच्छया मारपीट कर साधारण उपहतियां कारित की। फलतः अभियुक्त हरिराम पुत्र श्री श्योकरण उम्र 51 वर्ष निवासी ग्राम बांसेली पुलिस थाना पुष्कर, अजमेर को अपराध अंतर्गत धारा 458, 354 बी एवं 323 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किए जाने योग्य है।

आदेश

20- परिणामतः, अभियुक्त हरिराम पुत्र श्री श्योकरण उम्र 51 वर्ष निवासी ग्राम बांसेली पुलिस थाना पुष्कर, अजमेर को अपराध अंतर्गत धारा 458, 354 बी एवं 323 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(डॉ. विमल व्यास)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पुष्कर, अजमेर न्यायक्षेत्र

21– सजा के प्रश्न पर सुना गया। सजा के बिन्दू पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि अभियुक्त गरीब व्यक्ति हैं। यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अभियुक्त द्वारा कभी भी न्यायालय द्वारा दी गई परिवीक्षा का लाभ नहीं लिया है, जिस बाबत् अभियुक्त की ओर से पूर्व में परिवीक्षा का लाभ नहीं लिए जाने बाबत् शपथ–पत्र भी पृथक से प्रस्तुत किया गया है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

22- विद्वान अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को उचित दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

23- उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अभियुक्त पर एक अकेली महिला के घर में रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार कर उसको निर्वस्त्र करने के आशय से पर आपराधिक बल का प्रयोग कर उसके कपड़े फाड़ने एवं उसके साथ कुंदाले से मारपीट कर साधारण उपहितयां कारित करने का अपराध प्रमाणित होने से अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया गया है। इस प्रकृति के अपराध वर्तमान में उत्तरोत्तर बढते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान नहीं उचित प्रतीत नहीं होता। अतः अभियुक्त को निम्न दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित होगा।

दण्डादेश

24- अतः अभियुक्त हरिराम पुत्र श्री श्योकरण उम्र 51 वर्ष निवासी ग्राम बांसेली पुलिस थाना पुष्कर, अजमेर को प्रत्येक अपराध धारा 458, 354 बी व 323 भारतीय दण्ड संहित में

दोषसिद्ध हेतु निम्न प्रकार से दण्डित किया जाता है–

क्रं.सं.	**अपराध अंतर्गत**	**अपराध में दण्ड का प्रावधान**	**दोषसिद्धि पर सजा**	**अदम अदायगी जुर्माना में सजा**
1–	धारा 458 भारतीय दण्ड संहिता	14 वर्ष का कारावास और जुर्माना	05 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000/–रूपये जुर्माना	03 माह का साधारण कारावास
2–	धारा 354 बी भारतीय दण्ड संहिता	न्यूनतम 03 वर्ष अधिकतम 07 वर्ष का साधारण कारावास एवं जुर्माना	03 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000/–रूपये जुर्माना	03 माह का साधारण कारावास
3–	धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता	01 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों	06 माह का साधारण कारावास और 1000/–रूपये जुर्माना	01 माह का साधारण कारावास

24- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अंतर्गत सिद्धदोष अभियुक्त की पूर्व में पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि को मूल कारावास सजा में समायोजित किया जाये। अदम अदायगी जुर्माना की सजा पृथक से भुगतेगा।

25- अभियुक्त का सजा वारण्ट उपरोक्तानुसार बनाया जाए जिस पर यह नोट अंकित हो कि सिद्धदोष अपराधी द्वारा अधिरोपित जुर्माने की राशि अदा नहीं की गई है। निर्णय की एक प्रति अभियुक्तगण को अविलम्ब निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाए।

(डॉ. विमल व्यास)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पुष्कर, अजमेर न्यायक्षेत्र

26- निर्णय आज दिनांक 11.05.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर उद्घोषित कर हस्ताक्षरित किया गया।

(डॉ. विमल व्यास)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पुष्कर, अजमेर न्यायक्षेत्र